

**कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।**

पत्रांक:

/जि०यो ०८-प्र०वि०स्वी०/२०२५-२६

दिनांक: 13 नवम्बर 2025

**कार्यालय ज्ञाप**

सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शारान के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 41/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के क्रम में जनपद का परिषद का परिषद निर्धारित कर एवं सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 300720/E-22087/14(150) 2017/XXVII(1)/2025 दिनांक 26 मई, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के क्रम में प्रथम किस्त में अनुदान संख्या-07 सामान्य हेतु 5040.50 लाख रु०, अनुदान संख्या-30 एरा०सी०पी० हेतु 1712.40 लाख रु० तथा अनुदान संख्या - 31 टी०एस०पी० हेतु 425.70 लाख रु० इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रु० अधोहस्ताक्षरी के निवर्तन पर रखा गया है।

लघुडाल विभाग पिथौरागढ़ का जिला योजना 2025-26 हेतु अनुमोदित परिषद रु० 300.00 लाख के सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल पिथौरागढ़ को प्रथम किस्त हेतु 200.00 लाख रु० की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति कार्यालय पत्रांक 329/02.02.2025 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अधिशासी अभियन्ता लघु डाल पिथौरागढ़ द्वारा द्वितीय किस्त हेतु धनराशि रु० 100.00 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया है -

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष 2025-26 हेतु कुल अनुमोदित धनराशि	प्रथम किस्त में निर्गत धनराशि	द्वितीय किस्त में आवंटित धनराशि			कुल योग
				अनु०-07 (सामान्य)	अनु०-30 (एस०सी०पी०)	अनु०-31 (टी०एस०पी०)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रुईना थल लि०सि०यो०	91.73	64.00	27.73	0.00	0.00	27.73
2	लेपार्ती लि०सि०यो० (एस०सी०पी०)	104.29	75.00	0.00	29.29	0.00	29.29
3	पतेत लि०सि०यो०	76.88	61.00	15.88	0.00	0.00	15.88
4	कोटली पनेरु लि०सि०यो०	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
5	झुणी लि०सि०यो०	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
6	गुरेना रजवार लि०सि०यो०	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	5.99
7	सैनर लि०सि०यो० (एस०सी०पी०)	7.11	0.00	0.00	7.11	0.00	7.11
	<b>योग:-</b>	<b>300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>63.60</b>	<b>36.40</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशों के अनुसार तथा अधिशासी अभियन्ता लघुडाल खण्ड पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत मांग प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना वर्ष 2025-26 के उक्त बचनबद्ध मद/चालू कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़ को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि०यो०/रा०यो०आ०/मु०स०/2008 दिनांक 24.03.2008 व सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 41/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 17 अप्रैल, 2025 एवं सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 300720/E-22087/14(150) 2017/XXVII (1)/2025 दिनांक 26 मई, 2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल रु० 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये मात्र ) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

- 1- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2- उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
- 3- स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्याधिव्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 4- जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आंगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाय और न ही कोई वित्तीय वायदा किया जायेगा।
- 5- उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6- प्रश्नगत कार्यों के विस्तृत आंगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे एवं तत्पश्चात ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 7- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया में अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र वी०ए००४ पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 8- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

- 9-उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाय।
- 10-सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूँजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।
- 11-जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जाये।
- 12- उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के पत्र संख्या 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉवयोरमेंट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVI4I(1)/2008 दिनांक15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।
- 13- जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को ब्युट ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14- किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।
- 15- स्वीकृत कराये जा रहे कार्यों के आगणनों की टी0ए0सी0 से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी0ए0सी0 स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आगणन गठित कर टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जाय तथा टी0ए0सी0 आगणन की एक प्रति अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 16- जिन कार्यों को टेण्डर/बॉण्ड के माध्यम से कराया जाना हो या कराया जा रहा हो उन कार्यों में टेण्डर/बॉण्ड की धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। यदि किसी कारण से धनराशि टेण्डर/बॉण्ड से अधिक व्यय की जाती है तो अधिक व्यय धनराशि के कार्यों की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से आवश्यक रूप से ले ली जाय, अन्यथा जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।
- 17- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये है।
- 18- उक्त स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाये जिस पर किसी प्रकार का विवाद हो।
- 19- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 के अधीन लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00, 102 सामुदायिक विकास, 91 जिला योजना, 11 जिला योजना के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त 42 अन्य व्यय की मानक मद के नाम में डाला जायेगा।
- 20-सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 300720/E-22087/14(150) 2017/XXVII (1)/2025 दिनांक 26 मई, 2025 के बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।
21. अवमुक्त धनराशि को व्यय करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़ की होगी।

जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़।

पत्रांक: 451/जि0यो 08-प्र0वि0स्वी0/2025-26 दिनांक: , 2025  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़।
2. मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
4. संयुक्त निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमाऊ मण्डल, हल्द्वानी।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।
6. मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघुडाल/सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग बजट सेल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, सिचाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड, शासन देहरादून।
8. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़।